न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 95/2018 (उदयपुर डिक्री)

भंवरसिंह पिता श्री रवेचीदान, जाति चारण, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मणिराज पिता श्रर शंकरदान, जाति चारण, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. नारायणसिंह पिता श्री रामसिंह, जाति चारण, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. अमरसिंह पिता श्री रामसिंह, जाति चारण, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. सत्यदेवसिंह पिता श्री रामसिंह, जाति चारण, निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. पटवारी, पटवार हल्का चंगेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 27.09.2018 प्र.सं. 173/16

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री गिरधारीलाल शर्मा अभिभाषक रेस्पो॰ सं॰ 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 5 से 7

———:::———

निर्णय दिनांक 30–10–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दुदालिया में वादी के कब्जे की भूमि स्थित है, जिसके वर्तमान आराजी नंबर 45 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा के 1/2 भाग अर्थात 3 बीघा 3 बिस्वा एवं आराजी नंबर 47 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा सम्पूर्ण अर्थात कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर उसका कब्जा 30 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है, किन्तु आराजी नंबर 45 का 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं आराजी नंबर 47 प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम दर्ज है, जबकि उक्त भूमियां वादी द्वारा करीब 30 वर्ष पूर्व प्रतिवादीगण से क्रय की गयी तब से कब्जा वादी का चला आ रहा है। अतः वादी को आराजी नंबर 45 के 1/2 हिस्से का एवं आराजी नंबर 47 सम्पूर्ण का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी ने जिस विक्रय पत्र के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है वह मात्र लिखापढ़ी होकर 20/– रूपये के स्टाम्प पर है, जिसके आधार पर वाद राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं है। अतः वादी का वाद मात्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि वादी के वाद का मुख्य आधार एडवर्स पजेशन है, जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का है। अतः उक्त आवेदन के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता। अतः आवेदन खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 27–09–2018 से प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 30–10–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5, 6, 7 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट में अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन के आधार पर वाद खारिज करने में भूल की है, क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट ने जवाबदावा प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत किया है, जो कानूनन पोषणीय नहीं है। उक्त बिन्दु विधि व तथ्यों का मिश्रित प्रश्न होने से तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावे। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने समर्थन में न्यायिक नजीरें 2019 (1) आर.आर.टी. पेज 291 (सुप्रिम कोर्ट), 2018 आर.बी.जे. पेज 78 (राज.), 2018 आर.बी.जे. पेज 376 (सुप्रिम कोर्ट), 2018 आर.बी.जे. पेज 449 (राज.) एवं 2017 आर.बी.जे. पेज 257 (राज.) प्रस्तुत की गयी।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार उचित होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट/वादी के वाद का मुख्य आधार 20/– रूपये के स्टाम्प पर हुआ इकरारनामा है, जिसका श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय का है। अपीलान्ट/वादी ने अपने वाद का दूसरा आधार प्रतिकूल कब्जा लिया है, जिसके आधार पर नवीनतम न्यायिक नजीरों के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपने विस्तृत विवेचन में उपरोक्त आधारों पर ही प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है जिसमें हम प्रथम

दृष्टया किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी है, उनका हमने ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, जिसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 30–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

भंवरसिंह पिता श्री रवेचीदान चारण
निवासी दुदालिया, तहसील मावली
जिला उदयपुर

बनाम

मणिराज पिता श्री शंकरदान चारण
निवासी दुदालिया, तहसील मावली
जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं.....**95 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**मावली**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....27**.....माह.....**09**.....**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**....माह.....**10**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मनीष शर्मा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री गिरधारीलाल शर्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–09–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।